

Title: Situation arising out of the reported decision of Delhi Government to stop providing reservation to Scheduled Castes in Delhi state..

MR. SPEAKER: It is becoming too much. I am sorry, I cannot allow.

Only Dr. Karan Singh Yadav's statement will go on record.

*(Interruptions) *â€*

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले से दिल्ली सूबे के अन्दर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का नौकरियों में और अन्य सिविल सेवाओं में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है।^{â€} (व्यवधान) विगत वॉ केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत इस आरक्षण का लाभ दिल्ली

*Not Recorded.

के अनुसूचित जाति के लोगों को मिला था।^{â€} (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What are you doing? Nothing is being recorded. You are shouting. Is this the way to behave in this House?

डॉ. करण सिंह यादव : दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों को, हमारे मीणा भाइयों को, भील भाइयों को और अनुसूचित जाति के वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।^{â€} (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिहार की बात तो रोज बोलने देते हैं, ठीक है। आप बैठिये। You do not interrupt like this. This is very condemnable. I strongly object to it.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Karan Singh Yadav, please be brief. Everybody wants to make a speech.

...(Interruptions)

डॉ. करण सिंह यादव : मेरा माननीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री जी से और न्याय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस आरक्षण को लागू करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में जायें या सुप्रीम कोर्ट में इसे ले जाकर इस फैसले को चुनौती दें, जिससे कि अनुसूचित जाति का आरक्षण 7.5 परसेंट दिल्ली में मिल सके।^{â€} (व्यवधान) देश में सब जगह आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन दिल्ली के अन्दर आरक्षण को खत्म किया जाना हमारे लिए हितकर नहीं है। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Now, Special Mentions is over. All Parties have decided to take the debate on the General Budget at 12.30 hours.